राजस्थान सरकार

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

नवाब पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	**विप्रार्थीगण** 1. अणदाराम पुत्र आदूराम जाति सोनी निवासी आलमसर 2. अली मोहम्मद पुत्र पांधी 3. हसन पुत्र हुसैन 4. इस्माईल पुत्र सेतिया 5. उमर पुत्र हुसैन 6. कुरबान पुत्र हुसैन जातियान मुसलमान निवासीगण आलमसर तहसील चौहटन। 7. बरकत अली पत्नी इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी तेजे की ढाणी, भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 8. गुलाबा पत्नी इब्राहीम 9. समाई पत्नी हुसैन निवासी आलमसर तहसील चौहटन 10. सावणी पत्नी हुसैन जाति मुसलमान निवासी भलीसर 11. हरखूदेवी पत्नी मूलाराम जाति कुम्हार निवासी बांधनिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 12. शाखा प्रबंधन आईसीआईसीआई बैंक लि. बुरहान का तला 13. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न...138../2025

21/06/25

प्रार्थी नवाब पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री बाबूलाल जांणी** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा कुन्दनपुरा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 398 रकबा 23–1642 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा कुन्दनपुरा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 398 रकबा 23–1642 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करें। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 20/6/25... को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 15:19:41 IST
Reason: SelfAttested

20/06/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/06/25 को पेश हो।

हुक्म या कार्य

24/06/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी स्वयं
उप०। चूंकि मूलवाद को जरिये राजीनामा निर्णीत
कर दिया गया है। तो इस आवेदन को
आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर
समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

नवाब

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 15:19:41 IST
Reason: SelfAttested